



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

File No: NER-HQ0PERS(POLI)/105/2025-O/o SPO/HQ/HQ/NER (Computer No: 139077)

दिनांक 18.07.2025

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा.
पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर ।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति से सम्बन्धित परीक्षा में पद्धति सुधार (System Improvement)
सन्दर्भ :- आप का पत्र संख्या जेड/13/वी4/2025/विविध/56
दिनांक 10.07.2025

विषयगत मामले में संन्दर्भित पत्र द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति से सम्बन्धित परीक्षा में पद्धति सुधार (System Improvement) जारी करने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पद्धति सुधार जारी कर दिया गया है, जिसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

Digitally Signed by Vinod
Kumar Dwivedi
Date: 21-07-2025 10:33:52
Reason: Approved
(वी.के.द्विवेदी)

उपमुकाधि/मुख्या.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

File No: NER-HQ0PERS(POLI)/105/2025-O/o SPO/HQ/HQ/NER (Computer No: 139077) दिनांक .07.2025

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति से सम्बन्धित परीक्षा में पद्धति सुधार (System Improvement)

एक जाँच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अनुकम्पा नियुक्ति से सम्बन्धित परीक्षा में कुछ स्तरों पर प्रक्रियात्मक असंगति एवं स्पष्टता की कमी देखी गई, जिससे पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु सुधार की आवश्यकता पाई गई।

उपरोक्त के आलोक में निम्न पद्धति सुधार जारी किया जाता है :-

पद्धति सुधार (System Improvement)

1	वीडियो रिकॉर्डिंग की जाँच प्रक्रिया :- प्रत्येक परीक्षा के पश्चात वीडियो रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता, समय-मुद्रांकन एवं सामग्री की पुष्टि अनिवार्य रूप से की जाए और उसका एक संक्षिप्त सत्यापन नोट भी तैयार किया जाए।
2	डबल बैकअप व्यवस्था :- वीडियो रिकॉर्डिंग हेतु द्वैध चिप या कैमरा प्रणाली अपनाई जाएगी जिससे एक चिप/फाइल विफल होने पर दूसरी सुरक्षित रहें।
3	स्पष्ट एवं विस्तृत निर्देश जारी किया जाना :- वीडियो रिकॉर्डिंग की प्राप्ति, सत्यापन एवं संरक्षण की चरणबद्ध प्रक्रिया हेतु स्पष्ट एवं विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जाए। जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी तय किया जाये।
4	दायित्व निर्धारण :- उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु समिति सदस्यों, लिपिक एवं संचालन अधिकारियों के लिए स्पष्ट उत्तरदायित्व मैट्रिक्स जारी किया जाए।
5	रिकॉर्डिंग अनुबंध में दण्ड नीति :- रिकॉर्डिंग एजेंसी से सम्बन्धित संविदा में दंडात्मक प्रावधान (Penal clauses) स्पष्ट रूप से सम्मिलित किए जाएं। कार्य में लापरवाही की दशा में भुगतान स्थगन एवं संविदा निरस्तीकरण सुनिश्चित किया जाए।
6	परीक्षा पुष्टि नोट की अनिवार्यता :- परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षा संचालन अधिकारी द्वारा परीक्षा के निष्पक्ष एवं अनियमितता रहित संचालन की पुष्टि के सम्बन्ध में एक प्रमाणन नोट गोपनीय शाखा को दी जाए जिसकी प्रतिलिपि मुख्यालयकर्ता अधिकारी को दी जाये बिना इस प्रमाणन के उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच प्रारम्भ नहीं की जाए।
7	टाइम-स्टैम्पयुक्त उच्च गुणवत्ता युक्त वीडियो रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता :- परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग में तिथि एवं समय (Time-Stamp) का स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना अनिवार्य है। रिकॉर्डिंग उच्च गुणवत्ता में कराई जाए, जिसकी वीडियो रिजॉल्यूशन कम से कम 1920 X 1080 पिक्सल (Full HD) तथा फ्रेम रेट न्यूनतम 30 FPS हो, ताकि परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी व्यक्ति एवं उनकी गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से दृश्य में दर्ज हो सकें। रिकॉर्डिंग इस प्रकार की जाए कि परीक्षार्थी, कक्ष निरीक्षक, परीक्षा संचालन अधिकारी, प्रश्न-पत्र वितरण/संग्रह की प्रक्रिया तथा प्रवेश/निकास द्वार स्पष्ट रूप से कैमरे में रिकॉर्ड हों। ऑडियो सहित रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की जाए, ताकि मौखिक निर्देश अथवा संवाद की पुष्टि की जा सके। वीडियो MP4/AVI जैसे सामान्य एवं जाँच योग्य फॉर्मेट में हो तथा रिकॉर्डिंग को उत्तर पुस्तिकाओं के संरक्षण की निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखा जाए, साथ ही बैकअप स्टोरेज की समुचित व्यवस्था भी की जाए।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

Digitally Signed by Vinod

Kumar Dwivedi (वी.के.द्विवेदी)

Date: 16-07-2025 10:55:27

Reason: अनुकम्पा नियुक्ति से सम्बन्धित/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मैन्स कांग्रेस/गोरखपुर।
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर।
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

File No: NER-HQ0PERS(POLI)/105/2025-O/o SPO/HQ/HQ/NER (Computer No: 139077) दिनांक .07.2025

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति से सम्बन्धित परीक्षा में पद्धति सुधार (System Improvement)

एक जाँच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अनुकम्पा नियुक्ति से सम्बन्धित परीक्षा में कुछ स्तरों पर प्रक्रियात्मक असंगति एवं स्पष्टता की कमी देखी गई, जिससे पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु सुधार की आवश्यकता पाई गई।

उपरोक्त के आलोक में निम्न पद्धति सुधार जारी किया जाता है :-

पद्धति सुधार (System Improvement)

1	वीडियो रिकॉर्डिंग की जाँच प्रक्रिया :- प्रत्येक परीक्षा के पश्चात वीडियो रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता, समय-मुद्रांकन एवं सामग्री की पुष्टि अनिवार्य रूप से की जाए और उसका एक संक्षिप्त सत्यापन नोट भी तैयार किया जाए।
2	डबल बैकअप व्यवस्था :- वीडियो रिकॉर्डिंग हेतु द्वैध चिप या कैमरा प्रणाली अपनाई जाएगी जिससे एक चिप/फाइल विफल होने पर दूसरी सुरक्षित रहें।
3	स्पष्ट एवं विस्तृत निर्देश जारी किया जाना :- वीडियो रिकॉर्डिंग की प्राप्ति, सत्यापन एवं संरक्षण की चरणबद्ध प्रक्रिया हेतु स्पष्ट एवं विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जाए। जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी तय किया जाये।
4	दायित्व निर्धारण :- उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु समिति सदस्यों, लिपिक एवं संचालन अधिकारियों के लिए स्पष्ट उत्तरदायित्व मैट्रिक्स जारी किया जाए।
5	रिकॉर्डिंग अनुबंध में दण्ड नीति :- रिकॉर्डिंग एजेंसी से सम्बन्धित संविदा में दंडात्मक प्रावधान (Penal clauses) स्पष्ट रूप से सम्मिलित किए जाएं। कार्य में लापरवाही की दशा में भुगतान स्थगन एवं संविदा निरस्तीकरण सुनिश्चित किया जाए।
6	परीक्षा पुष्टि नोट की अनिवार्यता :- परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षा संचालन अधिकारी द्वारा परीक्षा के निष्पक्ष एवं अनियमितता रहित संचालन की पुष्टि के सम्बन्ध में एक प्रमाणन नोट गोपनीय शाखा को दी जाए जिसकी प्रतिलिपि मूल्यांकनकर्ता अधिकारी को दी जाये बिना इस प्रमाणन के उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच प्रारम्भ नहीं की जाए।
7	टाइम-स्टैम्पयुक्त उच्च गुणवत्ता युक्त वीडियो रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता :- परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग में तिथि एवं समय (Time-Stamp) का स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना अनिवार्य है। रिकॉर्डिंग उच्च गुणवत्ता में कराई जाए, जिसकी वीडियो रिजॉल्यूशन कम से कम 1920 X 1080 पिक्सल (Full HD) तथा फ्रेम रेट न्यूनतम 30 FPS हो, ताकि परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी व्यक्ति एवं उनकी गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से दृश्य में दर्ज हो सकें। रिकॉर्डिंग इस प्रकार की जाए कि परीक्षार्थी, कक्ष निरीक्षक, परीक्षा संचालन अधिकारी, प्रश्न-पत्र वितरण/संग्रह की प्रक्रिया तथा प्रवेश/निकास द्वार स्पष्ट रूप से कैमरे में रिकॉर्ड हों। ऑडियो सहित रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की जाए, ताकि मौखिक निर्देश अथवा संवाद की पुष्टि की जा सके। वीडियो MP4/AVI जैसे सामान्य एवं जाँच योग्य फॉर्मेट में हो तथा रिकॉर्डिंग को उत्तर पुस्तिकाओं के संरक्षण की निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखा जाए, साथ ही बैकअप स्टोरेज की समुचित व्यवस्था भी की जाए।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(वी.के.द्विवेदी)

उपमुकाधि/मुख्या.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मैन्स कांग्रेस/गोरखपुर।
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर।
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर।

Digitally Signed by Vinod

Kumar Dwivedi

Date: 17/07/2025 14:58:22

Reason: Approved